

निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून

संख्या: 006_Nainital_Tallakot_Koshyakutauli_1.720ha / भूखनि०ई०/ई०निवि०सह०नीला०/२०१७-१८ दिनांक: 05 फरवरी, 2018

ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र-

ई-निविदा सह ई-नीलामी हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून के विभागीय वेब पोर्टल www.dgm.uk.gov.in पर वैध पंजीकृत बिडर्स हेतु जनपद नैनीताल की तहसील कोश्याकुटौली के ग्राम तल्लाकोट धनियाकोट में पर्वतीय क्षेत्रान्तर्गत रिक्त राजस्व क्षेत्र में तालिका -2 के अनुसार वर्णित उपखनिज के खनन क्षेत्र हेतु औद्योगिक विकास अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1577/VII-1/2017/46 ख/17, दिनांक 07 नवम्बर, 2017 के द्वारा विज्ञापित किये जाने हेतु प्रदत्त स्वीकृति के क्रम में उत्तराखण्ड उप खनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों के अधीन ई-निविदा सह ई-नीलामी के माध्यम से परिहार पर स्वीकृत किये जाने हेतु पारदर्शिता पूर्ण कार्यवाही किये जाने के लिए भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की वैबसाईट www.dgm.uk.gov.in के अन्तर्गत ई-निविदा सह ई-नीलामी में प्रतिभाग के इच्छुक बोलीदाताओं हेतु द्वितीय चरण ई नीलामी में निम्नलिखित विवरणानुसार आमंत्रित की जाती है :-

तालिका-1

<u>द्वितीय चरण (ई-नीलामी)-</u> (दिनांक 06.02.2018 प्रातः 10:00 बजे से दिनांक 16.02.2018 तक सायं 05:00 बजे तक)	
https://eauction.gov.in मे ई नीलामी मे प्रतिभाग करने के लिये पंजीकरण की अवधि एवं समय	https://eauction.gov.in मे पंजीकरण की अवधि दिनांक 06.02.2018 प्रातः 10:00 बजे से 11.02.2018 सायं 03:00 बजे तक। (इच्छुक बोली दाता द्वारा)
ई-नीलामी के ऑन लाईन प्रकाशन की तिथि एवं समय (Creating + Publishing) :	06.02.2018 (मंगलवार) सायं 5:00 बजे तक (विभाग द्वारा)
प्रथम चरण के सफल बोली दाताओं हेतु ई नीलामी प्रशिक्षण कार्यक्रम	08.02.2018 (वृहस्पतिवार) प्रातः 11:00 बजे से 01:00 बजे तक
ई-नीलामी के ऑन लाईन प्रकाशन में परिशुद्धता के लिये शुद्धि पत्र के प्रकाशन (यदि कोई हो) की तिथि	08.02.2018 (वृहस्पतिवार) सायं 5:00 बजे (विभाग द्वारा)
ई आक्षण प्रपत्र भरने व Document की स्कैन कॉपी पीडीएफ प्रति अपलोड करने की तिथि	11.02.2018 (रविवार) सायं 5:00 बजे तक (बोली दाता द्वारा)
विभाग द्वारा बिडस का ऑन लाईन नीलामी मे प्रतिभाग करने हेतु अनुमति की तिथि	12.02.2018 (सोमवार) सायं 5:00 बजे तक
ऑनलाईन ई-नीलामी मे बोली दाता द्वारा प्रतिभाग करने की तिथि एवं समय	14.02.2018 (1) आरम्भ का समय 02:00 बजे (बुधवार) (2) समाप्ति का समय 05:00 बजे तक
ई-नीलामी मूल्यांकन की तिथि एवं समय व ई-नीलामी समिति की मूल्यांकन आख्या अपलोड करने की तिथि	दिनांक 16.02.2018 (शुक्रवार) साय 3:00 बजे तक
ई-नीलामी के परिणाम की घोषणा अपलोड करने की तिथि	दिनांक 16.02.2018 (शुक्रवार) साय 5:00 बजे तक

ई-नीलामी मे वही वैध पंजीकृत बिडर्स प्रतिभाग कर सकेंगे जिन्होने उपरोक्त तालिका-1 वर्णित eauction.gov.in मे समयान्तर्गत पंजीकरण करा लिया है।

1. उपखनिज क्षेत्र का विवरण-

तालिका-2

क्र० सं०	उपखनिज का नाम	लॉट का क्रमांक	क्षेत्र का विवरण				नियमावली, 2001 के अनुसूची 1 के अनुसार अन्य देयकों रहित रायल्टी दर (₹० प्रति टन)	ई निविदा से प्राप्त खनन योग्य अधिकतम उपखनिज का भण्डार (टन प्रतिवर्षी)	आधार मूल्य
			तहसील	ग्राम	खसरा सं०	क्षेत्रफल (है० मे०)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आर०बी०एम०	(6) नैनीताल	कोश्याकुटौली	तल्लाकोट धनियाकोट	2300 / 9284	1.720	40.00	37,840.00	15,13,600.00

2. पात्रता

उपरोक्त उपखनिज लॉट के ई नीलामी में प्रतिभाग करने हेतु प्रथम चरण (ई निविदा) के निम्नलिखित सफल निविदाकार पात्र हैं :

क्र०सं०	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आईडी०
1.	श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री पान सिंह, निवासी— 27 ग्राम सेठी, बेलगांव तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल।	M180102162858043
2.	श्री ललित मोहन सिंह रोतेला पुत्र श्री एच०एस० रोतेला, निवासी— बरेली रोड, ग्राम हरिपुर पूर्णानन्द तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	M180101145057800
3.	श्री नीरज सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंह, निवासी— 46 कपहुतल्ला, तहसील कोस्या कताउली, जिला नैनीताल।	M171222133831253
4.	श्री राजकौर चौधरी पत्नी श्री नरेन्द्र चौधरी, निवासी चिठोरिया नं० 01 ओप्पा अम्मा विहार कॉलोनी, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	M171227164104810
5.	श्री हरीश सिंह मेहरा पुत्र श्री भगत सिंह मेहरा, निवासी— कैनाल रोड, कॉलटैक्स काठगोदाम, तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	M171221114521393
6.	श्री सुरेन्द्र सिंह मेहरा पुत्र श्री अनूप सिंह, निवासी— 25 तालाबरधों, तहसील बेतालघाट, जिला नैनीताल।	M171222145734763
7.	श्री हरबंश सिंह पुत्र श्री मेहर सिंह, निवासी— काठगोदाम तहसील हल्द्वानी, जिला नैनीताल।	M171219153436100

3. द्वितीय चरण ई नीलामी हेतु आवश्यक निर्देश :-

1. ई नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु eauction.gov.in, में पंजीकरण प्रक्रिया सम्पन्न करने एवं सम्प्रेषित समस्त सूचनाओं की जिम्मेदारी इच्छुक बोलीदाता की होगी, विभाग तथा सहायक एजेन्सी इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे।
2. ई नीलामी हेतु eauction.gov.in पर पंजीकरण करते समय इच्छुक निविदादाता द्वारा विडर्स का नाम के साथ dgm.uk.gov.in, में पंजीकरण के उपरान्त प्राप्त सोलह अंकों की पंजीकरण संख्या शुद्धता एवं सावधानीपूर्वक अंकित किया जाना आवश्यक होगा। गलत अथवा त्रुटिपूर्ण अंकन से निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
3. इच्छुक बोलीदाता यह सुनिश्चित कर लें कि उसके कम्प्यूटर में “जावा” (JRE) साफ्टवेयर का वैध वर्जन आवश्यक रूप से लोड हो। वैध वर्जन uktenders.gov.in से डाउनलोड भी किया जा सकता है।
4. इच्छुक आवेदकों के लिए ऑन लाईन बिड/बोली हेतु डिजीटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) होना आवश्यक है।

4. ई- निविदा सह ई-नीलामी हेतु द्वितीय चरण की प्रक्रिया :-

1. प्रथम चरण के सफल इच्छुक बोलीदाता को ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने हेतु <http://eauction.gov.in> में निर्धारित समयान्तर्गत पंजीकरण कराना होगा। इस हेतु उसे पूर्व में जमा अर्नेस्ट मनी की स्कैन कॉपी यथा स्थान अपलोड करनी होगी।
2. प्रथम चरण में सफल ई-निविदादाता, द्वितीय चरण की ई-नीलामी के लिए निर्धारित न्यूनतम बोली की धनराशि (Floor price) के ऊपर ऑन लाईन नीलामी बोली, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निर्धारित तिथि 14.02.2018 अपरान्ह 02:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे तक की समयावधि के अन्तर्गत eauction.gov.in पर प्रस्तुत करेंगे। इस चरण के अन्तर्गत प्रथम चरण के सफल घोषित ई-निविदादाता अपने यूजर आईडी 0 एवं डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से लॉगइन कर द्वितीय चरण की ई-नीलामी प्रक्रिया में ऑन लाईन कर प्रतिभाग कर सकेंगे।
3. प्रत्येक बोलीदाता को आधार मूल्य (Floor price) का 0.5 (दशमलव पांच) प्रतिशत की वृद्धि के साथ अग्रेत्तर उच्चतर बोली प्रस्तुत करने की बाध्यता होगी।
4. सभी प्रतिभागी बोलीदाताओं की पहचान परस्पर गुप्त रखी जायेगी तथा ई-नीलामी की समस्त प्रक्रिया की उच्चतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी जो गतिशील रहेगी एवं अगली उच्चतम बोली प्राप्त होते ही परिवर्तित होती रहेगी। एक समय की उच्चतम बोली सभी प्रतिभागियों को उनके स्क्रीन पर प्रदर्शित होती रहेगी। प्रतिभागी परस्पर उच्चतर बोलियां प्रस्तुत कर दिनांक 14.02.2018 अपरान्ह 02:00 बजे से अपरान्ह 05:00 बजे के समयान्तर्गत कई बार प्रतिभाग कर सकते हैं।
5. ई-नीलामी की ऑन लाईन प्रक्रिया में स्क्रीन पर समय-समय की अधिकतम बोली प्रदर्शित होती रहेगी और प्रदर्शित बोली से अधिक बोली ऑन लाईन ही दी जा सकती है। पूर्व निर्धारित समय पूर्ण होते ही बोली की प्रक्रिया स्वतः समाप्त हो जायेगी और उसके उपरान्त कोई बोली नहीं दी जा सकती है। परन्तु, बोली के पूर्व निर्धारित समय के अन्तिम पांच मिनट के अन्तर्गत यदि कोई उच्चतम बोली प्राप्त होती है, तो नीलामी की बोली का समय स्वतः अग्रेत्तर पांच मिनट की समयावधि आगणित कर उस अवधि तक के लिए बढ़ जायेगी और यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक पांच मिनट के अन्तराल के अन्तर्गत में कोई अन्य अग्रेत्तर उच्च बोली प्राप्त नहीं होती है।
6. द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त ई-नीलामी में अधिकतम बोली प्रस्तुत करने वाले बोलीदाता को उच्चतम बोलीदाता (H1) घोषित किया जायेगा तथा अन्य बोलीदाताओं को अवरोही क्रम में H2, H3,

H4,...घोषित किया जायेगा। ई–निविदा सह ई–नीलामी का परिणाम विभागीय वेबसाईट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

5. सफल बोलीदाता की घोषणा अग्रेत्तर कार्यवाही–

- (1) द्वितीय चरण की बोली समाप्त होने के उपरान्त बोलीदाता H1, H2, H3, H4...की घोषणा विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in पर दिनांक 16.02.2018 को अपराह्न 05:00 बजे के उपरान्त की जायेगी।
- (2) H1उच्चतम बोलीदाता द्वारा दी गयी वार्षिक ई–नीलामी बोली धनराशि का दस प्रतिशत (10%)“सफल बोलीदाता धनराशि” तीन दिन के अन्तर्गत विभागीय payment gate way के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त सफल बोलीदाता घोषित किया जायेगा।
- (3) H1के असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए कोटिकम में द्वितीय ई–नीलामी बोलीदाता H2को उसकी बोली के मूल्य का दस प्रतिशत कार्य दिवसों के अन्तर्गत जमा कराये जाने का अवसर प्रदान कराया जायेगा, उसके भी असफल होने की दशा में उसकी अर्नेस्ट मनी जब्त करते हुए उत्तरोत्तर कोटिकम का अनुपालन करते हुए अन्तिम सफल बोलीदाता तक प्रक्रिया सम्पन्न कर सफल पाये गये ई–नीलामी बोलीदाता की घोषणा निदेशक द्वारा की जायेगी। सभी ई–नीलामी बोलीदाताओं के असफल होने की दशा में उनके द्वारा जमा अर्नेस्ट मनी को जब्त करते हुए ई–नीलामी बोली की प्रक्रिया को समाप्त घोषित किया जायेगा तथा खनन पट्टे हेतु ई–निविदा सह ई–नीलामी की प्रक्रिया सात दिन की अल्पावधि की विज्ञाप्ति के उपरान्त पुनः प्रारम्भ की जायेगी।
- (4) सफल बोलीदाता द्वारा अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का दस प्रतिशत (10%)“प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक धनराशि” (बिन्दु (2) के अतिरिक्त) सात कार्य दिवसों के अन्दर विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से ऑन लाईन जमा करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक अर्थात् ऐसा सफल ई–नीलामी बोलीदाता, जो अधिकतम वार्षिक नीलामी बोली का 10 प्रतिशत धनराशि जमा कर दिया हो, घोषित किया जायेगा।
- (5) प्रस्तर संख्या (1) के अनुसार घोषित उच्चतम बोलीदाता (H1)द्वारा प्रस्तर संख्या (2) व (4) में से किसी स्तर पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही न किये जाने के फलस्वरूप असफल होने की दशा में बिन्दु संख्या (3) के अनुसार निर्धारित H2 व कोटीकमानुसार अवसर प्रदान करते हुए उपरोक्तानुसार वर्णित विधि से खनन पट्टा आवंटन की प्रक्रिया सम्पन्न की जायेगी।
- (6) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों की जांच के उपरान्त तीन कार्य दिवसों के अन्तर्गत निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित आख्या औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को प्रेषित की जायेगी तथा औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में “आशय पत्र” जारी किया जायेगा। आशय पत्र क्षेत्र का नियम–17 के प्राविधानानुसार सीमाबन्धन किये जाने तथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र 06 (छ:) माह की अवधि के अन्तर्गत प्राप्त किये जाने हेतु निर्गत किया जायेगा।
- (7) आशय पत्र निर्गत होने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा अधिकतम वार्षिक ई–नीलामी बोली का पच्चीस प्रतिशत धनराशि “धरोहर धनराशि (Security Money)”समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कराये जाने हेतु आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के लिए बैंक गारन्टी के रूप में निदेशक के पक्ष में सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत बन्धक करायी जायेगी। धरोहर धनराशि जमा करने बाद प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा जमा की गई प्री–बिड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी। बैंक गारन्टी की स्कैन कॉपी सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत विभागीय वेबसाईट पर लॉग इन कर प्रेषित की जानी आवश्यक होगी तथा मूल प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में जमा करायी जानी होगी। यदि निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत समस्त औपचारिकतायें पूर्ण नहीं होती हैं या अग्रेत्तर समयवृद्धि राज्य सरकार द्वारा प्रदान नहीं की जाती है तो जमा बैंक गारन्टी की धनराशि को जब्त कर लिया जायेगा।

- (8) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना में अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ₹०आई०ए० नोटिफिकेशन दिनांक 14.09.2006 के प्राविधानों के अनुसार पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance) प्राप्त करनी होगी।
- (9) राष्ट्रीय पार्क के सम्बन्ध में, तत्समय प्रचलित प्राविधानों के अनुसार, दूरी में निर्धारित मानकों के अन्तर्गत पड़ने वाले खनन पट्टा क्षेत्र हेतु एन०बी०डब्ल्यू०एल० की अनुमति पट्टाधारक द्वारा प्राप्त की जानी होगी।
- (10) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत अर्थात् (06 माह) पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखता है तथा इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व के समस्त जमा अग्रिम धनराशि एवं बैंक गारन्टी आदि जब्त कर राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दिया जायेगा। ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जिस स्तर पर कार्यवाही रुकी हो, उससे अग्रेतर कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा पुनः विज्ञापित किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक द्वारा निर्णय लिया जायेगा।
- (11) उत्तराखण्ड शासन, मा० न्यायालयों एवं मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- (12) सफल बोलीदाता द्वारा खनन पट्टा के सम्बन्ध में की जा रही कार्यवाही के दौरान आकस्मिक निधन अथवा गम्भीर आशक्त होने की दशा में अग्रेतर कार्यवाही उनके विधिक वारिस द्वारा की जा सकेगी।
- (13) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के अलावा द्वितीय चरण के अन्य प्रतिभागियों (जब्त सुदा को छोड़कर) की प्री-बिड अर्नेस्ट मनी वापिस कर दी जायेगी।
- (14) (क) राज्य में अधिकतम पांच खनन पट्टे या 400 है० से अधिक के चुगान/खनन क्षेत्र को किसी एक स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोअपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो के पक्ष में स्वीकृत नहीं किया जायेगा। यदि किन्तु परिस्थितियों में एक स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोअपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो द्वारा अपने पक्ष में 05 खनन पट्टे या 400 है० से अधिक के खनन पट्टे स्वीकृत करा लिया जाता है, तो बड़े खनन पट्टा क्षेत्रफल से कम क्षेत्रफल के खनन पट्टा क्षेत्रों के क्षेत्रफल को जोड़ा जायेगा व 400 है० पूर्ण होने पर अवशेष पट्टों हेतु अर्हता समाप्त मानी जायेगी व उक्त क्षेत्र समर्पित माने जायेंगे। इस प्रकार समर्पित हुए उपखनिज क्षेत्रों के लिए H2 व कोटिकमानुसार कार्यवाही की जायेगी, परन्तु किसी खनन क्षेत्र का क्षेत्रफल 400 है० से अधिक है तो उक्त दशा में एक व स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोअपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो को एक खनन पट्टा स्वीकृत हो सकेगा।
 (ख) एक स्थायी निवासी अथवा स्थायी निवासियों की समिति जो कोअपरेटिव सोसाइटी एक्ट में पंजीकृत हो को विभाग द्वारा आगणित अधिकतम आधार मूल्य के 25 प्रतिशत हैसियत के अनुरूप ही खनन पट्टा/पट्टे आवंटित किये जा सकेंगे यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत हैसियत उसके सफल हुए खनन पट्टों से कम आगणित पायी जाती है तो उपरोक्तानुसार शेष सफल घोषित खनन पट्टों के लिए उसकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी।
- (15) (क) यदि आशय पत्र में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा वांछित औपचारिकतायें पूर्ण नहीं की जाती हैं तो प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा आशय पत्र के नवीनीकरण हेतु आशय पत्र में स्थीकृत अवधि की समाप्ति से न्यूनतम पन्द्रह कार्य दिवस से पूर्व ३० लाईन आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।
 (ख) पांच हैक्टेयर के प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के आशय पत्र का छ: माह के उपरान्त बिना किसी अतिरिक्त देयक के ३० लाईन नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करने पर आगामी अधिकतम छ: माह हेतु नवीनीकृत किया जा सकेगा किन्तु आशय पत्र जारी होने के एक वर्ष की अवधि पूर्ण हो जाने के उपरान्त यदि आशय पत्र के अग्रेतर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो ऐसी दशा में उसके द्वारा ई-नीलामी के उच्चतम बोली का 20 प्रतिशत धनराशि पुनः जमा की जानी होगी और पूर्व प्रस्तुत 25 प्रतिशत बैंक गारन्टी को नवीनीकृत कराकर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पक्ष में बन्धक के रूप में जमा कराना होगा।

उक्त प्रक्रिया में अग्रेत्तर वर्ष पूर्ण होने पर समान रूप से लागू करते हुए आशय पत्र का नवीनीकरण किया जा सकेगा।

प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा विभिन्न स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण न किये जाने की दशा में यह माना जायेगा कि प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पट्टा लेने की मंशा नहीं रखते हैं व इस स्थिति में आशय पत्र निरस्त करते हुए पूर्व में जमा की गयी अग्रिम धनराशि तथा बैंक गारन्टी राज्य सरकार के पक्ष में समाहित कर दी जायेगी।

- (16) आशय पत्र में उल्लिखित समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के उपरान्त प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा समस्त अभिलेख निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कराया जायेगा। निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उक्त अभिलेखों का ऑन लाईन परीक्षण करने के उपरान्त, यदि किसी प्रकार की कमी या आपत्ति पायी जाती है, तो निदेशक द्वारा पट्टाधारक को उक्त का निश्चित समयान्तर्गत निराकरण किये जाने हेतु ऑन लाईन अवगत कराया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा कमियों एवं आपत्तियों का निराकरण ऑन लाईन किये जाने के उपरान्त, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की ऑन लाईन संस्तुति पर राज्य सरकार द्वारा, खनन पट्टे के आशय पत्र में स्वीकृत कुल अवधि में से अवशेष अवधि हेतु, खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश ऑन लाईन निर्गत किया जा सकेगा।
- (17) खनन पट्टा स्वीकृति सम्बन्धी आदेश जारी होने के उपरान्त Performance guarantee अर्थात् स्वीकृत खनन क्षेत्र हेतु अधिकतम वार्षिक ई-नीलामी बोली की धनराशि का पच्चीस प्रतिशत, निर्धारित विभागीय पेमेन्ट गेटवे के द्वारा सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत जमा की जायेगी। वार्षिक नीलामी धनराशि का पच्चीस प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप में जमा की जायेगी, जिसका समायोजन पट्टे के अन्तिम वर्ष में उपखनिज निकासी मात्रा के सापेक्ष किया जायेगा। Performance guarantee जमा किये जाने के बाद आशय पत्र निर्गत किये जाने के समय जमा कराई गई धरोहर राशि (बैंक गारन्टी) अवमुक्त कर दी जायेगी। निदेशक द्वारा सात कार्य दिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख तैयार कर ऑन लाईन प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को प्रेषित किया जा सकेगा, जिसकी सूचना जनपद एवं शासन के नामित नोडल अधिकारी को भी ऑन लाईन होगी। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा पट्टा विलेख प्रारूप को डाउनलोड कर हस्ताक्षरित प्रतियां जिलाधिकारी, नैनीताल को हस्ताक्षर किये जाने हेतु सम्बन्धित जनपद के विभागीय कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला खान अधिकारी, नैनीताल द्वारा हस्ताक्षर के उपरान्त जिलाधिकारी नैनीताल को दो कार्य दिवसों के अन्तर्गत प्रस्तुत की जा सकेगी। जिलाधिकारी, नैनीताल द्वारा आवश्यक रूप से सात कार्यदिवसों के अन्तर्गत पट्टा विलेख हस्ताक्षरित कर पट्टाधारक को उपलब्ध करायी जा सकेगी।
- (18) पट्टे की अवधि की सगणना आशय पत्र निर्गत होने की तिथि से की जायेगी।
- (19) जिलाधिकारी, नैनीताल के द्वारा हस्ताक्षरित पट्टा विलेख को पट्टाधारक द्वारा उक्त पट्टा विलेख का जनपद नैनीताल में पंजीकृत कराकर हार्ड एवं स्कैन प्रति जिला खान अधिकारी, नैनीताल को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला खान अधिकारी, नैनीताल द्वारा स्कैन कॉपी निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को प्रेषित करनी होगी तथा निदेशक द्वारा शासन को संसूचित किया जायेगा।

6. ई-नीलामी प्रक्रिया के उपरान्त अन्तिम रूप से सफल घोषित बोलीदाता हेतु आवश्यक अनुदेश-

- (1) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म से खनन योजना विभाग द्वारा अधिकृत RQP से तैयार कर अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा एवं खनन योग्य स्थानों का वर्णन निहित होगा।
- (2) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को खनन योजना, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा अधिकृत Registered Qualified personnel (RQP) से अनुमोदित करायी जानी होगी, जिसमें निकासी किये जाने वाले खनिज की मात्रा तथा उक्त खनिज का तकनीकी एवं पर्यावरणीय दृष्टिकोण से खनन संक्रियायें संचालित किये जाने की विधि का वर्णन निहित होगा। खनन योजना में खनन क्षेत्र के डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स का वर्णन व जियोरैफरेनस्ड खसरा मानवित्र पर अंकन किया जाना होगा तथा खनन क्षेत्र में समाहित यथा

स्थिति राजस्व भूमि, वन भूमि व निजी नाप भूमि के स्वामियों का क्षेत्रफलवार राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित वर्णन, संलग्न किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त सौ मीटर की परिधि में आने वाली सभी सार्वजनिक स्थलों, समीपस्थ पुलों को प्रदर्शित करता 1:10,000 का सैटेलाईट मानचित्र संलग्न करना होगा जिसमें नदी की अद्यतन सीमा स्पष्ट रूप से चिह्नित हो तथा नदी के दोनों किनारों से निर्धारित दूरी छोड़ते हुए चिह्नित किया गया खनन योग्य क्षेत्रफल स्पष्ट रूप से दर्शाया गया हो। किसी भी खनन क्षेत्र के कोनों के डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स आवश्यक रूप से अभिलिखित होगे व बड़े खनन क्षेत्रों की दशा में प्रत्येक सौ मीटर की दूरी पर डी०जी०पी०एस० कोर्डिनेट्स अंकित किये जाने होंगे। राजस्व, वन भूमि एवं निजी नाप भूमि को स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाना होगा। समस्त मानचित्रों की डिजिटल प्रति भी प्रेषित की जानी होगी।

- (3) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक को विभाग द्वारा अधिकृत आर०क्यू०पी० से खनन योजना तैयार कराकर व निर्धारित लेखाशीर्षक में खनन योजना अनुमोदन शुल्क रु० 50,000/- निर्धारित लेखाशीर्षक 0853 अलौह खनन धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा कर निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक द्वारा सात दिन के अन्दन खनन योजना का अनुमोदन किया जा सकेगा।
- (4) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
- (5) उत्तराखण्ड शासन, मा० न्यायालय एवं मा० राष्ट्रीय न्यायाधिकरण द्वारा समय-समय पर दिये गये आदेश बाध्यकारी होंगे।
- (6) पट्टाधारक पट्टे के अधीन किये गये क्षेत्र के सर्वेक्षण और सीमांकन के समय सीमांकित मानचित्र पर खनन पट्टा क्षेत्र के कार्डिनेट्स अंकित करेगा तथा पट्टा विलेख निष्पादन करने के पूर्व पट्टाधारक अपने स्वयं के व्यय पर ऐसे सीमा चिन्ह को और खम्बे को लगायेगा जो पट्टा विलेख में संलग्न नक्शे में दर्शायें गये सीमांकन को इंगित करने के लिए आवश्यक होंगे।
- (7) पट्टा अभिलेख के निष्पादन व पंजीकरण के दिनांक से खनन संक्रियायें प्रारम्भ करेगा और तत्पश्चात् जान बूझकर कोई स्थगन किये बिना ऐसी खनन संक्रियाओं का संचालन उचित और दक्षतापूर्ण रीति से कुशल कारीगर की भाँति करेगा।
- (8) आशय पत्र पर स्वीकृत खनिज लॉट का सीमांकन, खसरा विवरण एवं पीलरबन्दी की कार्यवाही-सीमांकन शुल्क नियम-17 के अनुसार, सीमास्तभ (साईज-05 फिट जमीन के ऊपर तथा 03 फिट जमीन के भीतर, जो 2X2 फिट की चौड़ाई जी०पी०एस० रिडिंग सहित) प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक द्वारा स्वयं के व्यय से निर्मित किये जायेंगे।

7. खनिज निकासी हेतु सामान्य अनुदेश :-

1. खनिज निकासी हेतु उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट रायल्टी की दर के अतिरिक्त निम्न देयकों का भुगतान किया जाना होगा :-
 - क- रिवर ट्रेनिंग शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)
 - ख- क्षतिपूर्ति (रायल्टी का 10 प्रतिशत)
 - ग- विकास शुल्क एवं रोड शुल्क (रायल्टी का 15 प्रतिशत)
2. पट्टाधारक द्वारा राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित कर एवं शुल्क यथा आयकर विभाग का टी०सी०एस०, जिला खनिज फाउण्डेशन (DMF) आदि नियमानुसार जमा किया जायेगा।
3. जिला खनिज फाउण्डेशन में निकासी के समय उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 की प्रथम अनुसूची में बालू, बजरी, बोल्डर के हेतु निर्धारित रायल्टी का 25 प्रतिशत देय होगा।
4. खनिजों की निकासी पर्यावरणीय अनुमति में निर्धारित वार्षिक मात्रा के अनुसार अग्रिम मूल्य जमा कर ई-रवन्ना के माध्यम से की जायेगी।

5. पट्टाधारक द्वारा 01 वर्ष की निर्धारित मात्रा समय से पूर्व ही निकासी किये जाने की दशा में उक्त वर्ष में अग्रेत्तर निकासी की कार्यवाही स्थगित रहेगी।
6. पट्टा धारक स्वीकृत चुगान/खनन पट्टा के निकासी गेट पर स्वयं के व्यय से कम्प्यूटराइज्ड धर्मकांटा एवं वाहनों के प्रदेश व निकासी पर निगरानी के लिए स्वयं के व्यय पर 360 डिग्री कोण पर दृश्यता रिकार्डिंग के योग्य चार सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाने सहित चेक पोस्ट/गेट का निर्माण करेगा। पट्टाधारक उक्त चेक पोस्ट/गेट पर आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर भी रखेगा, जिससे संबंधित खनन पट्टा क्षेत्र से उपखनिजों के परिवहन हेतु प्रयुक्त प्रत्येक यान के सापेक्ष निर्गत किये गये ई-प्रपत्र एम0एम0-11 पर अंकित बार कोड का डाटा पढ़ने और सुरक्षित रखनें की सुविधा होगी और उसका समुचित रूप से रख रखाव करेगा एवं सदैव उसे चालू रूप में अनुरक्षित रखेगा। पट्टाधारक उक्त सी0सी0टी0वी0 कैमरे और आर0एफ0आई0डी0 स्कैनरों द्वारा की गयीसमस्त रिकार्डिंग को कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखेगा और नियम-66 के उपबन्धों के अधीन प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा रिकार्ड मांगे जाने पर उक्त रिकार्डिंग को उपलब्ध करायेगा।
7. पट्टाधारक प्रत्येक वाहन को ई-एम0एम0-11 सही विवरण सहित जारी करेगा। प्रत्येक वाहनों को निर्गत ई-एम0एम0-11 पर जनित बार कोड को चेक गेट पर पढ़ने तथा दर्ज डाटा सेव करने के लिए आर0एफ0आई0डी0 स्कैनर लगायेगा तथा सदैव उसका अनुरक्षण करेगा और उन्हे सही एवं चालू दशा में रखेगा। उक्त का अनुपालन न करने की दशा में नियमावली-2001 के नियम- 59 के अन्तर्गत शास्ति का भागीदार होगा।
8. नदी तल उपखनिज क्षेत्रों में जे0सी0बी0, पोकलैण्ड सक्षात् मशीन, लिफफटर आदि मशीनों द्वारा खनन/चुगान कार्य नहीं किया जायेगा।
9. स्वीकृत क्षेत्र के निकासी गेट पर पट्टाधारक का नाम व पता, पट्टाधारक का संपर्क/दूरभाष नं0, स्वीकृत क्षेत्रफल, स्वीकृत मात्रा, पट्टे की अवधि तथा खनिजों का विक्रय मूल्य प्रदर्शित करेगा।
10. पट्टाधारक पर्यावरणीय अनुमति (Environmental Clearance)एवं अनुमोदित खनन योजना में दी गयी शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही खनन संक्रिया सम्पादित करेगा।
11. स्वीकृत खनिज क्षेत्र से खनिज निकासी किये जाने से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establishएवं Consent to operateप्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।
12. ई-निविदा सह ई-नीलामी द्वारा उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) खनन पट्टा स्वीकृति की उपरोक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में बोलीदाता के असंतुष्ट होने की दशा में ऐसे बोलीदाता द्वारा अपील शुल्क रु0 5,000.00 का भुगतान विभागीय पेमेन्ट गेटवे के माध्यम से जमा कराकर शासन में अपील की जा सकेगी।
13. पट्टाधारक द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (समय-समय पर यथासंशोधित), उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 (समय-समय पर यथासंशोधित), मा0 न्यायालयों एवं मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों/दिशा निर्देशों तथा निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना होगा।
14. ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के दौरान ऐसा प्रकरण जिसका उल्लेख इस ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्रमें वर्णित किया जाना रह गया हो अथवा पूर्णतः स्पष्ट न किया जा सका हो ऐसे प्रकरणों पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार होगा। इस प्रक्रिया को किसी भी समय वापस लिये जाने एवं निरस्त का पूर्ण अधिकार निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई में निहित है, निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का निर्णय अन्तिम होगा।

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड,
भोपालपानी, देहरादून।